

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

Website: www.mpmāndibord.gov.in

E-mail: enammpsamb@gmail.com

Tel.: 0755-2554949

क्रमांक/बोर्ड/रा०कृ०बा०/कि.रथ/2020-21/ई-39/83  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/03/2021.

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

विषय:- किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय नई दिल्ली से किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के समन्वय के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/रा०कृ०बा०/20-21/ई-39/59-60 भोपाल, दिनांक 09.03.2021 द्वारा सुश्री संगीता ढोके संयुक्त संचालक (मोबाइल नंबर 9425065217) मण्डी बोर्ड को नोडल अधिकारी तथा श्रीमती. नीलकमल वैद्य सचिव 'स' (मोबाइल नंबर 7869866062) मण्डी बोर्ड भोपाल को संपर्क अधिकारी नियुक्त गया है।

किसान रथ पोर्टल पर मण्डी सचिवों द्वारा किये गये पंजीयन (Registration) का मुख्यालय से अनुमोदन (Approved) करने पर संबंधित मण्डी सचिवों के मोबाइल नंबर पर संदेश/सूचना (Message) प्राप्त होगा, जो उस मण्डी समिति की Login I.D. का पासवर्ड (Password) रहेगा। मण्डी सचिवों के पंजीयन (Registration) के अनुमोदन में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है।

1. मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक/बोर्ड/दूरभाष/2020/825 भोपाल दिनांक 05.10.2020 द्वारा सी.यू.जी. प्लान के अंतर्गत प्रदेश की मण्डी समिति के सचिवों को एयरटेल कंपनी की उपलब्ध कराये गये सिम कार्ड की सेवाएं दिनांक 30.09.2020 से समाप्त/बंद किये जाने के कारण इस सिम कार्ड/मोबाइल नंबर पर Login I.D. के पासवर्ड (Password) संबंधी संदेश/सूचना (Message) प्राप्त नहीं होने से संबंधित मण्डी सचिवों द्वारा वर्तमान में उपयोग किये जा रहे मोबाइल सिम कार्ड (मोबाइल नंबर) से किसान रथ पोर्टल i.e. <https://kisanrath.nic.in> पर पुनः पंजीयन किया जावे। संभाग के समस्त मण्डी सचिवों के पंजीयन की एकजाई जानकारी निम्न प्रारूप में मुख्यालय को तत्काल प्रेषित की जावे।

क्र.	मण्डी समिति का नाम	जिले का नाम	मण्डी सचिव का नाम	मण्डी सचिव का मोबाइल नंबर	मण्डी की ई-मेल आई.डी.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					

2. किसान रथ पोर्टल पर पंजीयन के समय पदस्थ मण्डी सचिवों में अधिकांश सचिव सेवा निवृत्त हो गये हैं। जिनके मोबाइल नंबर का उपयोग किसान रथ मोबाइल पोर्टल पर किया जाना उचित नहीं होने से वर्तमान में पदस्थ मण्डी सचिवों द्वारा उपयोग किये जा रहे मोबाइल सिम कार्ड (मोबाइल नंबर) से किसान रथ पोर्टल पर पुनः पंजीयन किया जावे।
3. किसान रथ पोर्टल पर पंजीयन के समय पदस्थ मण्डी सचिवों को स्थानांतरण होने की स्थिति में उक्त पोर्टल पर मण्डी सचिवों द्वारा किये गये पंजीयन (Registration) का मुख्यालय से अनुमोदन (Approved) पश्चात् संबंधित मण्डी सचिवों के मोबाइल नंबर पर प्राप्त संदेश/सूचना (Message) की जानकारी/Login I.D. का पासवर्ड (Password) तथा इस संबंध में मोबाइल पर समय-समय पर प्राप्त होने वाले निर्देश/सूचना पूर्व पदस्थ की मण्डी समिति को उपलब्ध कराये जावें।




4. किसान रथ पोर्टल पर पंजीयन (Registration) का मुख्यालय से अनुमोदन (Approved) पश्चात संबंधित मण्डी सचिवों के मोबाइल नंबर पर संदेश/सूचना (Message) प्राप्त होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे। कोई कठिनाई होने पर तत्काल मण्डी बोर्ड मुख्यालय में संपर्क अधिकारी से मोबाइल पर संपर्क किया जावे।
5. जिन मण्डी सचिवों द्वारा किसान रथ पोर्टल i.e. <https://kisanrath.nic.in> पर पंजीयन नहीं किया गया है। तत्काल पंजीयन किया जावे।
6. मण्डी समितियों के किसानों, व्यापारियों, FPO एवं सेवा प्रदाता को इस "किसान रथ एप" को Google Play Store से डाउनलोड करने और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये एप पर पंजीकृत किया जावे। सेवा प्रदाता के पंजीयन संबंधी दस्तावजों का परीक्षण किया जाकर मण्डी सचिव Login I.D. से अनुमोदन (Approved) किया जावे।
7. "किसान रथ एप" को डाउनलोड कर उपयोग करने वाले लाभान्वित/अनुमोदित किसानों, व्यापारियों, FPO एवं सेवा प्रदाता की जानकारी निम्न प्रारूप में संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय द्वारा संभाग की समस्त मण्डी समितियों से प्राप्त की जाकर एकजाई जानकारी प्रतिमाह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से एक्सल शीट में साफ्ट कापी मुख्यालय को कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. [enammpsamb@gmail.com](mailto:enammpsamb@gmail.com) पर प्रेषित की जावे। मण्डी समितियों द्वारा सीधे मुख्यालय को जानकारी प्रेषित नहीं की जावे।

क्र.	माह	संभाग का नाम	जिले का नाम	मण्डी समिति का नाम	"किसान रथ एप" को डाउनलोड कर उपयोग करने वाले लाभान्वित/अनुमोदित की कुल संख्या			
					किसान	व्यापारी	FPO	सेवा प्रदाता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								


अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार किसान रथ मोबाइल एप के सफल क्रियान्वयन के संबंध में संभाग की समस्त मण्डी समितियों के सचिवों को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक (ई-नेम)  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26/03/2021

क्रमांक/बोर्ड/रा0कृ0बा0/कि.रथ/2020-21/ई-39/84  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ..... (समस्त 259) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रथ मोबाइल एप के सफल क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

  
संयुक्त संचालक (ई-नेम)  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल